

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जून 2026 — ज्येष्ठ 27, शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/4527/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, जनसुविधा की दृष्टि एवं प्रशासनिक कारणों से, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से संबंधित पूर्व अधिसूचना में कॉलम (4) एवं (5) में, विनिर्दिष्ट ग्रामों और तत्स्थानी पटवारी हल्का नम्बर को अपवर्जित करते हुए उन्हें कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नवीन पुलिस चौकी की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में शामिल करते हुए निम्नलिखित आंशिक संशोधन करती है:—

स. क्र.	उस पुलिस थाने/तहसील एवं जिले का नाम, जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस पुलिस थाने/तहसील/जिले का नाम, जिससे अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नवीन चौकी— भैंसा तहसील—आरंग जिला—रायपुर	पुलिस थाना—आरंग तहसील—आरंग जिला—रायपुर	चिंगरिया	29
			मोतिमपुर—कला	28
			लाजा	39
			प्रसवानी (लांजा)	39
			मजिठा	39
			भटिया	39
			खपरीडीह खुर्द	35
			पाड़ाभाट	49
			भेजरीडीह	49
			भैंसा	37
			करमा	38

			खोरसी	38
			अछोली	38
			कुलीपोटा	42
			भैसमुड़ी	42
			चोरभट्टी	50
			कोरासी	42
			देवरतिल्दा	36
			चकवे	50
			परसदा (चकवे)	50
			घोरभट्टी	37
			पिरदा	41
			परसवानी (पिरदा)	4
			तुलसी डहरिया	49
			सकरी	49
			पण्डा परसवानी	36
			अमसेना	43
			कोड़ापार	43
			भण्डारपुरी	41
			केशला (अमोदी)	66
			रसौटा	44
		पुलिस थाना— खरोरा तहसील—खरोरा जिला—रायपुर	अमोदी	44
			धौराभाठा	13
			डुम्हा	41
			धोवभट्टी	10
			सेजा	40

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 27th May 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR-35/4527/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred Atal Nagar, Dated 27-05-2026 by sub-section (1) of Section 7 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and in pursuance of clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), in view of the public convenience and administrative reasons, the State Government, hereby, makes the following partial amendment in the previous notification relating to the local jurisdiction of the Police Stations mentioned in column (3) of the Table below by excluding the villages and their corresponding Patwari Halka Number specified in column (4) and (5) and including the same within the local jurisdiction of the new outpost specified in column (2):-

TABLE

S. No.	Name of that Police Station/Tahsil and District in which to be included	Name of that Police station/ Tehsil/District out of which to be excluded	Name of the proposed villages	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	New Out Post-Bhaisa Tehsil-Arang District- Raipur	Police Station- Arang Tehsil- Arang District- Raipur	Chingariya	29
			Motimpur-Kala	28
			Lanja	39
			Paraswani (Lanja)	39
			Majitha	39
			Bhatiya	39
			Khapridih-Khurd	35
			Padabhat	49
			Bhejridih	49
			Bhaisa	37
			Karma	38
			Khorsi	38
			Acholi	38
			Kulipota	42
			Bhaismudi	42
			Chorbhatti	50
			Korasi	42
			Dewartilda	36
			Chakwe	50
			Parsada (Chakwe)	50
			Ghorbhatti	37
			Pirda	41
			Paraswani (Pirda)	4
			Tulsi Dahariya	49
			Sakri	49
			Panda Paraswani	36
			Amsena	43
			Kodapar	43
			Bhandarpuri	41
			Keshla (Amodi)	66
			Rasauta	44
		Police Station- Kharora Tehsil- Kharora District- Raipur	Amodi	44
			Dhauwabhata	13
			Dumha	41
			Dhowbhatti	10
			Seja	40

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRASAD CHOUHAN, Deputy Secretary.